हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज मोती बनाम बाबुलाल वगैरा	हुक्म की तामील में जारी हुए
15-11-18	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानांतरण उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई श्री चिम्मनलाल मीना के विरुद्ध पेश किया गया है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई मे विचाराधीन प्रकरण उनवानी मोती बनाम मोती दावा तकासमा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा, मल्ला बनाम मोहन दावा तकासमा, मोती बनाम बाबूलाल दावा अधिघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा, दावा मोती बनाम बाबूलाल अधिघोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा, अपील नामांतरण उनवानी रामस्वरूप बनाम शीला मु.नं. 5/15 एवं अपील नामांतरण रामस्वरूप बनाम शीला मु.नं. 12/15 को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु, प्रार्थी मोती पुत्र छेगा उर्फ छगनलाल माली निवासी ऊनबड़ागांव तहसील बसवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को भिजवाई जावे। पत्रावली कामल मुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 15-11-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) अति० जिला कलेक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official